न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 01/2017/अपील

घनश्यामप्रसाद पुत्र स्व. बैजनाथ अग्रवाल महाजन, पता–शोभासरिया विश्राम भवन, श्रमदान मार्ग, वार्ड नम्बर 34, सीकर, हाल पता–270, चितरंजन ऐवेन्यू, कोलकाता

–अपीलांट

बनाम

1. नगरपरिषद, सीकर जरिये आयुक्त

–प्रत्यर्थी

2. प्रहलादराय पुत्र स्व. श्री वैजनाथ अग्रवाल मूल निवासी सीकर हाल पता–227/2 आचार्य जगदीशचन्द्र बोस रोड, कोलकाता
3. कुजबिहारी पुत्र स्व. श्री बैजनाथ अग्रवाल महाजन मूल निवासी सीकर हाल पता–270, चितरंजन ऐवेन्यू, कोलकाता

–औपचारिक प्रत्यर्थी

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री अरूण कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 की ओर से।

अपील अं.धारा 121 राज. नगरपालिका अधि. 2009
विरूद्ध मांगपत्र दिनांक 12.06.2017 अं.धारा 130 राज. नगपालिका अधि. 2009

निर्णय

दिनांकः 06 अगस्त, 2024

1. अपीलांट **घनश्यामप्रसाद** की ओर से यह अपील वकील **श्री रामप्रकाश गुप्ता** द्वारा **अं.धारा 121 राज. नगरपालिका अधि. 2009 विरूद्ध मांगपत्र दिनांक 12.06.2017 अं.धारा 130 राज. नगपालिका अधि. 2009** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैंः–

(1) सीकर नगर में वार्ड नम्बर 34 श्रमदान मार्ग पर शोभासरिया विश्राम भवन के नाम से चैरिटेबल भूमि, भवन है जिस भवन में धर्मशाला, मन्दिर, होमियोपैथिक औषधालय, खुला स्थान एवं काफी वर्षों से किराये पर चली आ रही दुकानें हैं। जिनका किराया काफी न्यून है और किराये से प्राप्त राशि का उपयोग उक्त चैरिटेबल भवन के रख रखाव, संचालन आदि पर होने वाली व्यय की पूर्ति हेतु किया जाता है। उक्त भवन का संचालन अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से बहैसियत ट्रस्टी किया जाता है। इस प्रकार उक्त भवन चैरिटेबल (संस्थानिक) प्रकृति का है। जिस भवन को बिना

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

किसी औचित्य व विधि सम्मत कारण के वाणिज्यिक प्रकृति का बताते हुये प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से गृहकर/नगरीय विकास कर का मांगपत्र क्रमांक 5073 दिनांक 12.06.2017 रकम 11,14,065/–रू. अन्तर्गत धारा 130 नगपालिका अधिनियम जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है।

(2) मांग पत्र का आधार प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में जारी गृहकर/नगरीय विकास कर बिल क्रमांक 13255 दिनांक 17.03.2017 रकम 11,14,065/–रू. को बनाया गया है, जो बिल एकपक्षीय कार्यवाही में तैयार किया हुआ है। गृहकर/नगरीय विकास कर का आंकलन संस्थानिक प्रकृति की भूमि–भवन पर देय गृहकर के आधार पर ना किया जाकर वाणिज्यिक प्रकृति की भूमि, भवन के आधार पर किया गया है तथा संस्थानिक संपदा का क्षेत्रफल भी 1912 वर्गमीटर के बजाय 3830.51 वर्गगज गलत लिया है।

(3) शोभासरिया विश्राम भवन (धर्मशाला) पूण्यार्थ एवं धमार्थ प्रयोजनार्थ संस्थानिक संपदा है, जिसका प्रबन्ध, संचालन पन्नालाल अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट एवं बैजनाथ शोभासरिया चेरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के अधीन है और उक्त संपदा मे धर्मशाला, मंदिर, होमियोपैथिक औषधालय एवं काफी समय से किराये पर लगी हुई दुकानें है, जिनका किराया प्रचलित किराये की तुलना में काफी न्यून है, जो किराया उक्त संस्था के संचालन पर होने वाले व्यय का एक अंश मात्र है। शेष व्यय राशि की व्यवस्था ट्रस्ट के स्तर पर की जाती है। इस प्रकार संपदा की किस्म वाणिज्यिक ना होकर चेरिटेबल है और गृहकर/नगरीय विकास कर उक्त किस्म, प्रकृति के आधार पर ही देय होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(4) स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के अनुसार संस्थानिक भवन/इकाई पर देय गृहकर/नगरीय विकास कर का भिन्न तरीका है, तद्नुसार ही कर की गणना की जा सकती है। मांगपत्र में संदर्भित बिल दिनांकित 17.03.2017 में कर की जो गणना की गई है वह वाणिज्यिक प्रकृति के भवन/इकाई के आधार पर की जाने के साथ ही कालबाधित अवधि की भी गणना की गई है, जो गलत व अनुचित है, जिस बाबत पूर्व में प्रेषित जवाब दिनांकित 30.03.2017 में सही स्थिति प्रकट की गई है परन्तु संशोधित बिल जारी ना होने के अभाव मे राशि जमा दी जाने में जायज विवशता रही है।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(5) उक्त संस्थानिक भवन/इकाई वाली संपदा का आंशिक भाग निर्मित एवं आंशिक भाग अनिर्मित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2286 वर्गगज अर्थात 1912 मीटर है, जिसका 2/3 भाग अर्थात 1524 वर्गगज (1275 वर्गमीटर) पन्नालाल अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट तथा 1/3 भाग अर्थात 762 वगर्गज (637 वर्गमीटर) बैजनाथ शोभासरिया चेरिटेबल ट्रस्ट के अधीन है और उक्त क्षेत्रफल पर देय संस्थानिक/औद्यौगिक डी.एल.सी दर प्रति वर्गमीटर के आधार पर नगरीय विकास कर निर्धारण किये जाने योग्य है।

(6) पूर्व मद संख्या 5 में वर्णित क्षेत्रफल पर स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के अनुसार देय राशि संलग्न अनुसूची "क" के अनुसार 10,071/–रू होती है, के भुगतान हेतु चैक मय जवाब प्रत्यर्थी 1 को संदत कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न है और अधिक संदत राशि वापिस/समायोजन योग्य है। प्रेषित मांगपत्र चतुर्थ अनुसूची की विधिक आपेक्षा अनुसार ना होने के कारण भी अवैधता से ग्रसित है। उक्त संस्थानिक भवन/इकाई के संचालक ट्रस्टी अपने कारोबार के अनुक्रम में कोलकाता रहते हैं शेष दो संचालक ट्रस्टी कोलकाता है, जिन्हे बतौर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। चुनौतीग्रस्त मांगपत्र दिनांक 12.06.2017 का जारी किया हुआ है, जो दिनांक 13.06.2017 को स्थानीय व्यवस्थापक को प्राप्त हुआ है।

(7) अतः अपील पेश कर निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी मांगपत्र दिनांक 12.06.2017 अन्तर्गत धारा 130 नगरपालिका अधिनियम 2009 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. रेस्पो. संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये।

दौराने बहस वकील रेस्पो. सं. 1 ने कथन किया कि, अपील अपीलांट राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 के तहत प्रस्तुत की है, जो कि उक्त अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलांट को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 122 की पालना किया जाना आवश्यक है जिसके पैरा (ख) में स्पष्ट प्रावधान है

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

कि "आवेदक ने उससे इस प्रकार दावाकृत रकम का पच्चीस प्रतिशत नगरपालिका कार्यालय में जमा नहीं करवा दिया है।" अतः अपील अपीलांट विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पो. ने कथन किया कि, अपीलांट द्वारा धारा 122 के तहत समुचित पालना कर अपील पेश की है जिसका अभिकथन अपील मेमो में भी किया गया है। अपीलांट का भवन विश्राम भवन/धर्मशाला है, जो स्वयत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के अनुसार संस्थानिक प्रकृति की संपदा है जिसपर देय गृहकर/नगरीय विकास कर की राशि का चैक जमा करवा दिया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी मांगपत्र दिनांक 12.06.2017 अन्तर्गत धारा 130 नगरपालिका अधिनियम 2009 निरस्त किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिससे तथ्य स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विधिक प्रावधानों की पूर्ति नहीं की गई है। दौराने बहस भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश करने में असफल रहे हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक **06 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर